पत्र सं0– वि.प्रा. (III) यो.– 7 / 2018–

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

/पटना, दिनांक

विषय– नवस्वीकृत राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा में कर्मशाला, प्रयोगशाला, वर्गकक्ष, कार्यालय के लिए आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा एक ब्यॉज (200 शय्या) एवं एक गर्ल्स छात्रावास (199 शय्या) में आवश्यक उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन के लिए कुल रू. 2,19,13,000=00 (दो करोड़ उन्नीस लाख तेरह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा के पत्रांक–83, दिनांक 17.12.2018 एवं पत्रांक–87, दिनांक 27.12.2018 द्वारा अधियाचित राशि के आधार पर समीक्षोपरांत संस्थान में कर्मशाला, प्रयोगशाला, वर्गकक्ष, कार्यालय के लिए आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, 105 कम्प्यूटर एवं 3 प्रिंटर तथा एक ब्यॉज (200 शय्या) एवं एक गर्ल्स छात्रावास (199 शय्या) में आवश्यक उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन के लिए कुल रू. 2,19,13,000=00 (दो करोड़ उन्नीस लाख तेरह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

क्र. सं.	विषयशीर्ष	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	52 01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय	1,00,00,000=00
2	52 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य	1,19,13,000=00
	कुल	**2,19,13,000=00**

2. विमुक्ति हेतु उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0109–पोलिटेकनिक (निश्चय)" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय तथा 52 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसका विपत्र कोड 43–4202021040109 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार नवादा से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ –

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 7/ 2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 7/ 2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 7/ 2018– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 7/ 2018– 175 /पटना, दिनांक– 14-1-019

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.1.18
सरकार के उप सचिव

14/01/19